

राजस्थान - सरकार
कार्यालय प्राचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जैसलमेर
(रामगढ रोड, जिला-केन्द्रीय कारागृह के पास)
दूरभाष न:- 02992-251500 मो.न.9413992979 ई मेल:- gpc.jaisalmer@rajasthan.gov.in

क्रमांक:- रापोजै/स्था/2024-25/785

दिनांक : 20/11/2024

संशोधित कार्यालय आदेश

इस संस्थान के आदेश क्रमांक रापोजै/स्था/2024-25/779-784 दिनांक 20/11/2024 के क्रम में निदेशक, तकनीकी शिक्षा निदेशालय राजस्थान जोधपुर के आदेश क्रमांक: एफ 7 (3-डी) प्राशिनि / ई-1 / सी - 2 / 10022 दिनांक 28.10.2024 की अनुपालना में श्री महेश कुमार गर्ग, वरिष्ठ सहायक, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जैसलमेर का राज्य सेवा में रहते हुए दिनांक 26.04.2024 को निधन हो जाने के फलस्वरूप इनकी पत्नी श्रीमती रानी, पत्नी स्व. श्री महेश कुमार गर्ग, जन्म तिथि 15.05.1990 (पंद्रह मई उन्नीस सौ नब्बे) अनुसूचित जाति 27 GURDA (27 गुर्दा) को राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपात्मक नियुक्ति नियम 1996 के प्रावधानुसार राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जैसलमेर में लैब अनुचर के रिक्त पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परीवीक्षा के अधीन राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक: 7 (2) डीओपी / ए-11/06 दिनांक 20.01.2006 एवं एफ 12 (6) एफडी रूल्स/06 दिनांक 13.03.2006 एवं एफ 15 (1) एफडी / रूल्स/ 2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के प्रावधानानुसार इन्हें परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में पे लेवल-01 में एक मुश्त रूपये 12400/- (बारह हजार चार सौ रूपये) प्रति माह पर निम्न शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है:-

1. राज्य सरकार की अधिसूचना एफ-5 (डीओपी) ए-11 /88 पीटी जयपुर दिनांक 8.4.15 के अनुसार नियम 5 में हुये संशोधन की पालना सुनिश्चित करें। मृत राज्य कर्मचारी के परिवार का कोई भी सदस्य किसी सरकारी / राज्य या केन्द्र / नियम या उपक्रम में नियोजित न हो इस हेतु अनुकंपात्मक नियमों के नियम-5 के अनुसार शपथ-पत्र आश्रित को प्रस्तुत करना होगा। (मृतक की पत्नी पर यह नियम लागू नहीं होगा)
2. राज्य सरकार के नियमों के प्रावधानुसार परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि में इन्हें फिक्सड रेमुनेरेशन (पे लेवल-01 में एक मुश्त रूपये 12400/- प्रति माह) के अतिरिक्त अन्य कोई मत्ता (बोनस, महंगाई भत्ता, मकान किराया, शहरी भत्ता, विशेष वेतन आदि) देय नहीं होगा। इनके फिक्स्ड रेमुनेरेशन में से राज्य सरकार द्वारा जारी नवीन परिपत्र के अनुक्रम में प्रावधानी निधि एवं आरजीएचएस की कटौती की जावेगी। परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जावेगा।
3. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा। पूर्ण कलेण्डर वर्ष से कम अवधि होने पर पूर्ण माह के आधार पर अवकाश अनुज्ञेय किया जावेगा एवं अन्य अवकाश राजस्थान सेवा नियम के अनुसार दिये जायेंगे।

Signature valid

Digitally signed by T. Ram
Meghwal
Designation: Head of Department
Date: 2024.11.20 14:30:14 IST
Reason: Approved



CR
- 20/11/24

4. राज्य सरकार अधिसूचना क्रमांक: एफ-7 (1) / कार्मिक / क-2 / 95/ दिनांक 08.04.2003 के तहत ऐसा कोई आशार्थी जिसके 01.06.2002 को या इसके पश्चात दो से अधिक बच्चे उत्पन्न हुए हो, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निरहित नहीं समझा जावेगा जब तक कि दिनांक 01.06.2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती। किन्तु राज्य सरकार के आदेश दिनांक 29.10.05 के अनुसार विधवा की नियुक्ति में यह प्रावधान लागू नहीं होगा।
5. संस्थान में कार्यग्रहण करने से पूर्व आशार्थी को जन्मतिथि, शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्रों का मूल प्रतियों के साथ सत्यापित छायाप्रतियाँ एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र दो राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र एवं जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र जो कि 6 माह से पूर्व का न हो प्रस्तुत करना होगा।
6. यदि भविष्य में मृतक आश्रित द्वारा प्रस्तुत योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र / अंकतालिकाएँ / अन्य दस्तावेज किसी भी स्तर पर अवैध पाए गए तथा किसी भी प्रकार की शिकायत पर दोषी पाया गया तो इनकी नियुक्ति / राजकीय सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेगी।
7. कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 27.02.2001 के अनुसार मृतक कर्मचारी के आश्रितों का भरण पोषण / पालन पोषण नहीं करने की स्थिति में नियुक्ति / राजकीय सेवा समाप्त की जा सकती हैं।
8. दत्तक पुत्र पुत्रियों के संबंध में वैद्यता की जाँच हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के प्रावधानानुसार किया जावेगा।
9. राज्य सरकार के आदेशानुसार धूम्रपान नहीं करने तथा दहेज नहीं लेने के संबंध में आवेदक को शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
10. यदि अभ्यर्थी के दस्तावेज में नाम / उपनाम व जाति / उपजाति में भिन्नता होने की स्थिति में 50/- रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सही नाम / उपनाम व जाति / उपजाति के आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
11. राज्य सरकार के नियमानुसार राजकीय सेवा में कार्यग्रहण करने के समय कार्मिक को निम्न आशय का 50/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देना होगा।

मैं..... शपथ लेता हूँ / लेती हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ कि भारत और विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूंगा / रखूंगी मैं भारत की प्रभूता और अखण्डता अक्षुण्ण रखूंगा / रखूंगी तथा मैं अपने पद के कर्तव्यों का राजभक्ति, ईमानदारी और निष्पक्षता से पालना करूंगा/करूंगी। (अतः ईश्वर मेरी सहायता करें)।

Signature valid

Digitally signed by **Tulsi Ram**
Meghwal
Designation: **Head Of Department**
Date: 2024.11.24 14:30:14 IST
Reason: Approved